भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3904

उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2026

25 फाल्गुन, 1947 (शक)

हरियाणा में खेल मैदानों की दयनीय स्थिति

3904. कुमारी सैलजा :

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि राज्य खेल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा के 1,015 खेल मैदानों में से 235 खेल मैदान खेलने के लिए अनुपयुक्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मैदानों की दयनीय स्थिति और इनमें मूलभूत सुविधाओं के अभाव के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार को इन खेल मैदानों की मरम्मत और उन्नयन में सहायता किए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (ग) 'खेल' राज्य विषय होने के कारण, खेल मैदानों का रख-रखाव, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, तथा खिलाड़ियों के लिए सुरक्षित और उचित सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु खेल अवसंरचना के सुधार और उन्नयन सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। संघ सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग-आधारित स्कीमें हैं जिसके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य में खेल सुविधाओं को सुदृढ़ करने अथवा

खेल अवसंरचना के उन्नयन सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के आधार पर वित्तीय सहायता हेतु विचार किया जाता है। संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आने वाली विभिन्न खेल अवसंरचनाओं का विवरण इस मंत्रालय में संधारित नहीं किया जाता है।
